Urban Development
Directorate

13 Reforms undertaken by Urban Development Directorate

13.1 Mandate for only-online submissions for Trade Licenses

To ensure that the services provided by the Urban Development Directorate, Government of Uttarakhand is provided in an accessible and transparent manner, an online portal has been developed, www.enagarsewa.uk.gov.in. Through this portal, applicants can apply and avail the services for Trade Licenses, Right of Way, Road Cutting in an online manner with no physical touchpoints.

संख्या– /1588/ श०नि०–उपविधि/16Vol-II

प्रेषक,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

1– समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम, उत्तराखण्ड।

2– समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।

देहरादून: दिनांक 23 -अक्टूबर, 2017

विषयः– **नगरीय ई–गर्वनेस सेवाओं से संबंधित वेब एप्लीकेशन हेतु ऑनलाईन वेब–पोर्टल के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेशकों और व्यवसायों को सुविधा प्रदान करने के क्रम में निकायों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं (निम्न उल्लेखित) के लिए ऑनलाइन स्वीकृत प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा चुकी है जो अभिगम्यता, पारदर्शिता और उपयोग में आसानी सुनिश्चित करता है।

1– प्रमुख व्यवसायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हेतु Trade Licenses
2– रोड कटिंग (Road cutting)
3– सम्पत्ति कर का भुगतान (Property Tax)
4- राईट ऑफ वे (Right of Way)

इस आदेश के तहत यह अनिवार्य है कि निकायों द्वारा निवेशकों/व्यवसायों को प्रदान की गई उपरोक्त सेवाओं के सभी आवेदन बिना किसी हार्डकॉपी/ ऑफलाइन प्रक्रिया दिनांक 30–10–2017 से ऑनलाइन पोर्टल enagarsewa.uk.gov.in के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। दस्तावेज या फीस को ऑफलाइन या मैन्यूअल रूप से नही लिया जायेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पूरी स्वीकृति प्रक्रिया बिना किसी हार्ड कॉपी संचालन के इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी। निवेशक/व्यवसायी अपने आवेदनों की स्थिति को Unique Reference Number से ट्रैक करने में सक्षम होंगे, और स्वीकृति पत्र भी ऑनलाइन के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में तदनुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें।

18.10.17
(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि :–

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महापौर/अध्यक्ष समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद, उत्तराखंड को सूचनार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

13.2 Mandate for issuance of Trade License on the basis of only two documents

For the issuance of Trade Licenses, Urban Development Directorate, Government of Uttarakhand has mandated that only two documents will be required, namely, documents related to Land Ownership / Availability and Identity Proof. These documents will have to be provided online through the portal and the license will be issued based on these two documents only.

संख्या–3229/1588/ श०नि०–उपविधि/16Vol-II

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

1– समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम, उत्तराखण्ड।

2– समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः 17 अक्टूबर, 2017

विषयः– **Trade Licenses हेतु Online आवेदन करने के लिए दस्तावेजों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि केन्द्र सरकार के चलाये जा रहे "Ease of Doing Business" के अन्तर्गत बिन्दु सं0 – 404 के परिपालन हेतु Trade Licenses हेतु Online आवेदन करने के लिए अधिकतम 02 दस्तावेज ही की अपेक्षा की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें। प्रमुख व्यवसायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जोकि Trade Licenses हेतु Online आवेदन करेगें, उन्हें केवल संलग्न सूची में उल्लेखित दस्तावेजों को ही प्रस्तुत करना होगा। उक्त दोनों दस्तावेजों के एवज में ही Trade Licenses जारी किया जायेगा।

संलग्नक :–उपरोक्तानुसार।

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महापौर/अध्यक्ष समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद, उत्तराखंड को सूचनार्थ प्रेषित।

17/10/17

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।